संख्या-01/2017/277/38-3-2017/64/2016टी0सी0

प्रेषक,

सुशील कुमार पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 30 मार्च, 2017

विषयः-वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-13 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-102-सामुदायिक विकास-06-संग्रहीत जिला कार्यक्रम के अन्तर्गत पुनर्विनियोग माध्यम से धनराशि स्वीकृतकरने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-154/बजट/पुनर्विनियोग/2016-2017, दिनांक 02 मार्च, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-13 के अंतर्गत "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-102-सामुदायिक विकास-03 मुख्य अधिष्ठान (ब्लाक बजट)-44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय मद में हो रही बचत की धनराशि रू0 19,00,000.00 (रूपये उन्नीस लाख मात्र) को लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-102-सामुदायिक विकास-06-संग्रहीत जिला कार्यालय-05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय" मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्त विभाग के आर0ई0 संख्या-738/यू0ओ0/ई-2-183/10-2017 दिनांक 30 मार्च, 2017 के अनुसार एतद्वारा व्यय की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

2- इस संबंध में वित्त विभाग के मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायगा।

3- उपरोक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-102-सामुदायिक विकास-03 मुख्य अधिष्ठान (ब्लाक बजट)-44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय से आहरित किया जायगा एवं "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-102-सामुदायिक विकास-06-संग्रहीत जिला कार्यालय-05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय के नामें डाला जायगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के आशासकीय आदेश संख्या-यू0ओ0/ई-2-183/10-2017 दिनांक 30 मार्च, 2017 में प्राप्त् उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नकः बी0एम0-09 प्रपत्र

भवदीय,

सुशील कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

संख्या-01/2017/277(1)/38-3-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- अपर आयुक्त (वित्त) ग्राम्य विकास विभाग।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, द्वारा आयुक्त ग्राम्य विकास।
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुशील कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव ।